

बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान झाँसी

वित्त समिति की दिनांक 01.09.2017 को सम्पन्न हुई 33वीं बैठक का कार्यवृत्त

बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी की वित्त समिति की 33 वीं बैठक माननीय सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं अध्यक्ष, वित्त समिति की अध्यक्षता में दिनांक 01.09.2017 को अपरान्ह, 3.00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्यों ने प्रतिभाग किया।

- | | | | |
|----|--|-------|----------------|
| 1. | श्री भुवनेश कुमार
सचिव, प्राविधिक शिक्षा
उ०प्र० शासन, लखनऊ
एवं
अध्यक्ष, वित्त समिति
बी०आई०ई०टी०, झाँसी | | अध्यक्ष |
| 2. | श्री केशव प्रसाद
उपसचिव
वित्त विभाग
प्रतिनिधि,
प्रमुख सचिव
वित्त विभाग
उ०प्र० शासन, लखनऊ। | | सदस्य |
| 3. | श्री आर० सी० राजपूत
एडिशनल डायरेक्टर
प्रा०शिक्षा निदेशालय,
प्रतिनिधि,
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
कानपुर उ०प्र० | | सदस्य |
| 4. | श्री आर० के० डागौर
अधीक्षण अभियन्ता
पी०टी०पी०पी०,
प्रतिनिधि
मुख्य महाप्रबन्धक
पी०टी०पी०पी०,
पारीछा, झाँसी | | सदस्य |
| 5. | श्री सुधीर कुमार जैन
वरि० वित्त एवं लेखाधिकारी
बी०आई०ई०टी०, झाँसी | | विशेष आमन्त्री |
| 6. | प्रो० वी०के० त्यागी
निदेशक
बी०आई०ई०टी०, झाँसी | | सदस्य सचिव |

५/९/१७. *almar*

कार्यवाही का विवरण

33.01

वित्त समिति की दिनांक: 14.09.2016 को सम्पन्न हुई 32 वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन।

समिति द्वारा दिनांक 14.09.2016 को सम्पन्न हुई 32वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन किया गया।

33.02

(अ) वित्त समिति की विगत वर्षों में सम्पन्न हुई बैठकों में प्रस्तुत किये गये बिन्दुओं पर समिति के निर्णय पर कृत कार्यवाही का विवरण।

उक्त बिन्दु क्रमांक सं० 33.12 पर वर्णित है।

(ब) वित्त समिति की दिनांक: 14.09.2016 को सम्पन्न हुई 32 वीं बैठक में प्रस्तुत किये गये बिन्दुओं पर समिति का निर्णय एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण।

(32.03) समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 हेतु ₹ 1537.60 का व्यय स्वीकृत हुआ था जिसके सापेक्ष वास्तविक व्यय ₹ 1312.70 हुआ है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत धनराशि से ₹ 224.30 लाख कम व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में वेतन भत्तों एवं अंशकालिक शिक्षकों को पारिश्रमिक व्यय हेतु ₹ 1075.00 लाख के सापेक्ष (₹ 741.75+179.78) ₹ 921.53 लाख व्यय हुआ है अतिथि प्रवक्ता मद में स्वीकृत धनराशि ₹ 150.00 लाख के सापेक्ष ₹ 179.78 लाख अर्थात् ₹ 29.78 लाख अधिक व्यय तथा विज्ञापन मद में ₹ 20.00 लाख के सापेक्ष ₹ 21.55 लाख व्यय अर्थात् ₹ 1.55 लाख अधिक व्यय हुआ है। इस परिपेक्ष्य में समिति द्वारा भविष्य में मदों में अनुमोदित धनराशि की सीमा में व्यय करने का निर्देश दिया गया है। समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में अतिथि प्रवक्ताओं को प्रतिमाह ₹ 20000/- अधिकतम भुगतान किया जाता था जोकि विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 से शासन द्वारा प्रतिमाह ₹ 30000/- अधिकतम भुगतान निर्धारित कर दिया गया है। इस कारण उक्त व्यय अति आवश्यक श्रेणी के अन्तर्गत बचनबद्ध व्यय होने के कारण किया गया है। इसके साथ ही विगत वर्ष माह मार्च 2017 में वित्त समिति की बैठक आहूत न होने के कारण संशोधित बजट पारित नहीं कराया जा सका। उपरोक्त धनराशि ₹ 31.33 लाख वचनबद्ध मदों हेतु व्यय की गयी है अतः धनराशि ₹ 31.33 लाख की समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(32.08) संस्थान में आडिटेड एकाउण्ट्स की स्थिति व आडिट आपत्तियों का विवरण।

समिति को यह अवगत कराया गया कि संस्थान का वित्तीय वर्ष 2012-13 तक की अवधि का आडिट कार्य सम्पन्न हो चुका है एवं संस्थान का विगत 04 वर्षों से ऑडिट कार्य लम्बित है इसे समिति ने संज्ञान में लेते हुये कहा कि कई वर्षों से ऑडिट न होना चिंताजनक स्थिति है। समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि अवशेष वर्षों का आडिट कार्य कराने हेतु लेखा परीक्षा कार्यालय को पुनः पत्र प्रेषित करते हुये व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया जाये, यदि जनपद स्तर पर समाधान नहीं हो तो मण्डलीय एवं राज्य स्तरीय सक्षम अधिकारियों से सम्पर्क किया जाये।

(32.12) वित्त एवं लेखा विभाग में आवश्यक कार्मिकों के संबंध में।

समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित कार्मिकों के चयन की प्रक्रिया अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा सम्पादित की जानी है। इस पर समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि संस्थान स्तर से भी इस क्रम में आयोग से सम्पर्क कर नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही कर ली जाये।

वित्त

लेखा

(32.13) नगर निगम झॉसी के गृहकर की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि नगर निगम द्वारा निर्धारित कर का वैध परीक्षण कराकर/नगर निगम की नियमावली के आलोक में गणना कराकर विधिक राय लेने के उपरांत ही भुगतान प्रक्रिया अमल में लाई जाये एवं शासन को भी सूचित किया जाये।

33.03

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष का बजट प्रस्ताव।

समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष का अवलोकन किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित कुल आय रू0 3475.55 एवं रू0 2535.41 लाख के व्यय प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित बजट का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	विवरण	धनराशि (लाख में)
	<u>आय पक्ष</u>	
01	प्रारम्भिक अवशेष	1857.06
02	शिक्षण शुल्क से अनुमानित आय	961.40
03	शासन से प्राप्त अनुदान	506.19
04	अन्य प्राप्तियां	150.90
	कुल प्रस्तावित आय	3475.55
	<u>व्यय पक्ष</u>	
05	वेतन एवं गैर वेतन मद में प्रस्तावित धनराशि	1907.06
06	अनावर्ती मद में प्रस्तावित व्यय	628.35
	कुल प्रस्तावित व्यय	2535.41
	अवशेष धनराशि	940.14

विल्ट. अलम

33वीं वित्त समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुमोदित धनराशि का विवरण

क्र०सं०	व्यय मद (रु० लाख में)	वर्ष 2017-18 का अनुमोदित
1	वेतन एवं भत्ता	1010.00
2	अशकालिक शिक्षकों को पारिश्रमिक	180.00
3	सुरक्षा कर्मियों की मजदूरी	40.00
4	गृह कर	94.25
5	मानदेय	003.00
6	यात्रा व्यय	004.00
7	कनवेन्स	000.50
8	टेलीफोन व्यय	001.00
9	कार्यालय व्यय	035.00
10	सेमिनार	002.00
11	चिकित्सा व्यय	007.00
12	डाक व्यय	000.50
13	मेडल व रिवाइड	001.00
14	बागवानी	018.00
15	अध्ययन भ्रमण	004.00
16	विज्ञापन	035.00
17	स्टेशनरी/ छपाई	001.50
18	विधिक व्यय	010.00
19	ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट	004.00
20	विद्युत व्यय	200.00
21	कार्यालय उपकरण/ फर्नीचर/ कम्प्यूटर का रखरखाव एवं प्रतिस्थापन व्यय	020.00
	अनुरक्षण व्यय—	
22	सिविल अनुरक्षण	030.00
23	विद्युत अनुरक्षण	030.00
24	डी० ओ० सी०	006.00
25	पुस्तकालय व्यय	036.71
26	मेरिट छात्रवृत्ति	001.00
27	शोध एवं विकास	006.00
28	कर्मचारियों की वर्दी	000.60
29	सम्परीक्षा शुल्क	040.00
30	छात्र किया कलाप/ खेलकूद	015.00
31	वाहन व्यय	008.00
32	इन्टरनेट अनुरक्षण	010.00
33	छात्रावास अनुरक्षण	010.00
35	परीक्षा व्यय	040.00
35	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	03.00
	योग (अ)	1907.06
	अनावर्ती मद	
36	वाई-फाई हेतु	24.00
37	प्रयोगशाला उपकरणों हेतु	86.16
38	विद्युत व्यवस्था का सुदृढीकरण	35.00
39	वास्केट बॉल एवं बैडमिंटन हेतु	43.68
40	विगत वर्षों का गृहकर	268.03
41	भू-धारकों को भुगतान	148.65
42	प्रशासकीय/ वित्तीय अकादमिक सेवाओं का ऑटोमेशन ई० आर०पी० सॉफ्टवेयर की स्थापना	22.83
	योग (ब)	628.35
	महा योग (अ+ब)	2535.41

1. निर्माणाधीन कार्यों के अवशेष दायित्व का पूंजीगत बजट का प्रस्ताव।

समिति द्वारा निर्माणाधीन कार्यों के पूंजीगत बजट के प्रस्ताव के अर्न्तगत संस्थान परिसर में 144 सीटेड छात्रावास के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रु0 99.98 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु निर्देश दिया गया।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवीन कार्यों का पूंजीगत बजट का प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवीन कार्यों के अर्न्तगत केन्द्रीय पुस्तकालय एवं प्लेसमेन्ट सेल भवन के निर्माण हेतु रु0 895.25 लाख के प्रस्ताव पर समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाये।

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु संस्थान का पूंजीगत बजट का प्रस्ताव।

बास्केटबाल एवं बैडमिन्टन कोर्ट हेतु बुडेन फ्लोरिंग।

समिति द्वारा बास्केटबाल एवं बैडमिन्टन कोर्ट हेतु बुडेन फ्लोरिंग हेतु रु0 43.68 लाख के व्यय की अनुमति दी गयी।

संस्थान में चिकित्सा/आकस्मिक कार्यों हेतु एम्बुलेन्स का कय।

समिति द्वारा एम्बुलेन्स कय पर असहमति व्यक्त की गयी। यह भी निर्देश दिया गया कि एम्बुलेन्स आवश्यकतानुसार वाह्य सेवा प्रदाता से लेकर कार्य कराया जाये।

संस्थान के केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय जर्नल्स का कय।

समिति द्वारा संस्थान के केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय जर्नल्स के कय हेतु रु0 13.71 लाख पर सहमति व्यक्त की गयी।

विद्युत व्यवस्था का सुदृढीकरण।

समिति द्वारा रु0 35.00 लाख तक की सीमा के अर्न्तगत कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

संस्थान में वाई-फाई सुविधा के सुदृढीकरण हेतु प्रस्ताव।

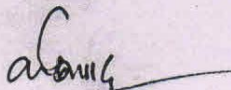
समिति द्वारा संस्थान में रु0 24.00 लाख की सीमा में वाई-फाई सुविधा के सुदृढीकरण हेतु सहमति दी गयी।

33.04 (क). वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रयोगशालाओं एवं संस्थान की अन्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्ताव।

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर संस्थान की प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 में जारी कय आदेश रु0 86.16 लाख के व्यय पर सहमति व्यक्त की गयी।

संस्थान में प्रशासकीय/वित्तीय/अकादमिक सेवाओं का ऑटोमेशन ई0आर0पी0 सॉफ्टवेयर की स्थापना हेतु रु0 22.83 लाख

संस्थान में प्रशासकीय/वित्तीय/अकादमिक सेवाओं का ऑटोमेशन ई0आर0पी0 सॉफ्टवेयर की स्थापना हेतु रु0 22.83 लाख का कय आदेश यू0पी0डेस्क को जारी किया जा चुका है। अतः उक्त धनराशि को व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई।

पु.स.ट. २. 

(ख) डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय का विवरण।

क्र0सं0	विवरण	वर्ष 2015-16 में प्राप्त अनुदान	वित्तीय वर्ष 2015-16 में वास्तविक व्यय
1.	एकेडमिक भवन हेतु रैम्प का निर्माण	65.00	36.67
2.	बालिका छात्रावास के शौचालय ब्लॉक की मरम्मत	50.00	58.60
3.	समस्त विभागों की प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण	200.00	—
4.	जिम एवं किचेन सुन्दरीकरण	85.00	—
	योग	400.00	95.27

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया।

33.05 वित्तीय वर्ष 2016-17 में कराये गये निर्माण (पूजीगत) कार्य की अद्यतन स्थिति।

समिति द्वारा संस्थान के निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति का अवलोकन किया गया।

1. 300 किलो लीटर क्षमता के भूमिगत जलाशय का निर्माण (रु0 55.00 लाख)

समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था को देखते हुये शासनादेश संख्या-4078/सोलह-1-2015-9 (बजट-4)/2011 दिनांक 21.12.2015 के माध्यम रु0 55.00 लाख अवमुक्त किया गया था जिसके कम में कार्यदायी संस्था पैकपेड को भुगतान कर दिया गया है एवं कार्य पूर्ण हो चुका है।

2. 36 सीटेड एस0सी0/एस0टी0 छात्रावास का निर्माण (रु0 193.00 लाख)

समिति को अवगत कराया गया कि उक्त छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा रु0 200.00 लाख स्वीकृत करते हुए रु0 180.00 लाख अवमुक्त किया गया था। यहाँ यह सूचित करना है कि, उक्त छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

इस कम में यह अवगत कराना है कि ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अवशेष धनराशि रु0 20.00 लाख दिनांक 06.03.2017 को अवमुक्त की जा चुकी है।

3. 144 सीटेड पुरुष छात्रावास का निर्माण (रु0 955.58 लाख)

समिति को अवगत कराया गया कि उक्त छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-404/सोलह-1-2016-9 (बजट-11)/2011टीसी दिनांक 31.03.2016 के माध्यम रु0 955.58 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में रु0 209.29 लाख एवं द्वितीय किस्त के रूप में दिनांक 31.12.2016 को रु0 646.31 लाख अर्थात् कुल धनराशि रु0 855.60 अवमुक्त किया गया है। उक्त के कम में अवगत कराना है कि तकनीकी स्वीकृति एवं विस्तृत प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के साथ अनुबंध कर पूर्ण भुगतान कर दिया गया। तथा 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष धनराशि रु0 99.98 लाख वित्तीय 2017-18 में शासन द्वारा अवमुक्त की जानी प्रस्तावित है।

वित्त

अवमुक्त

4. संस्थान परिसर की सड़कों का मरम्मत कार्य (रु0 90.29 लाख)

समिति को अवगत कराया गया कि सड़क मरम्मत के कार्य हेतु शासनादेश संख्या-3860/सोलह-1-2016-(बजट-4)/2011 दिनांक 28.09.2016 के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में रु0 45.15 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में दिनांक 30.03.2017 को रु0 45.14 लाख अर्थात् कुल धनराशि रु0 90.29 लाख अवमुक्त किया गया है, जिसके सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है, तथा 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

5. टाइप-3 के 04 आवासों का निर्माण

समिति को अवगत कराया गया कि टाइप-03 के चार आवासों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-3860/सोलह-1-2016-(बजट-4)/2011 दिनांक 28.09.2016 के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में रु0 33.35 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में दिनांक 30.03.2017 को रु0 33.36 लाख अर्थात् कुल धनराशि रु0 66.71 लाख अवमुक्त किया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यदायी संस्था के साथ अनुबंध कर 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है, तथा 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

6. विद्युत व्यवस्था का सुदृढीकरण

समिति को अवगत कराया गया कि विद्युत व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु शासनादेश संख्या-3860/सोलह-1-2016-(बजट-4)/2011 दिनांक 28.09.2016 के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में रु0 53.42 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में दिनांक 30.03.2017 को रु0 53.43 लाख अर्थात् कुल धनराशि रु0 106.85 लाख अवमुक्त किया गया है। समिति को यह भी अवगत कराना है कि, विद्युत व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा रु0 141.85 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें शेष धनराशि रु0 35.00 लाख की आवश्यकता है उक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था के साथ अनुबंध कर रु0 106.85 लाख का भुगतान कर दिया गया तथा 10% कार्य पूर्ण हो चुका है।

33.06

(अ) बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान झॉसी की स्थापना हेतु ग्राम कोछामांवर की अधिग्रहीत भूमि के भूधारकों को बढी हुयी दर से प्रतिकर भुगतान हेतु धनराशि रु0 148.65 लाख की स्वीकृति।

समिति द्वारा यह निर्देश दिया गया कि उक्त प्रकरण को जिलाधिकारी, झॉसी से विचार विमर्श कर बढी हुई दरों का नियमतः विधिक परीक्षण कराकर वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया जाये। न्यायालय द्वारा पारित आदेश भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अनुरूप हैं या नहीं, न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सम्भावना सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि उपरोक्त धनराशि के भुगतान के पश्चात संस्थान स्तर पर भू-अर्जन से सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान की कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्यक रूप से विचार एवं विधिक राय लेने के उपरान्त ही शासन के संज्ञान में लाते हुए व्यय की कार्यवाही अमल में लाई जाये।

(ब) नगर निगम, झॉसी के गृहकर की धनराशि रु0 268.03 लाख के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि नगर निगम द्वारा निर्धारित कर का वैध परीक्षण कराकर/नगर निगम की नियमावली के आलोक में गणना कराकर विधिक राय लेने के उपरान्त ही भुगतान प्रक्रिया अमल में लाई जाये एवं शासन को भी सूचित किया जाये।

११.८.१८. *Aravind*

(स) वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना हेतु (संख्या 02) धनराशि रू0 32.88 लाख।

समिति द्वारा वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।

33.07 संस्थान के समस्त एकाउन्ट्स एवं उसमें अवशेषों का विवरण/अवशेष के विनियोग का विवरण।

समिति द्वारा संस्थान के पास सावधि जमा धनराशि रू0 1269.77 लाख का अवलोकन किया गया। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि आधिक्य धनराशि को बचत खाते में रखने पर व्याज की क्षति होती है जिस कारण आधिक्य धनराशि को सावधि जमा के रूप में रखा गया।

33.08 परीक्षा संबंधी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि का विवरण।

समिति द्वारा परीक्षा संबंधी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि रू. 36.02 लाख का अवलोकन किया गया।

33.09 विश्व बैंक कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय का विवरण।

समिति द्वारा संस्थान को विश्व बैंक कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत धनराशि रू0 800.00 लाख के सापेक्ष 31 जुलाई, 2017 तक वास्तविक व्यय रू0 717.43 लाख का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि आगामी भुगतानों हेतु विश्व बैंक कार्यालय द्वारा निर्गत आदेशों के आलोक में कार्यवाही की जाये।

33.10 संस्थान में स्थापित एण्डाउमेंट फण्ड हेतु पृथक रूप से संचालित खाते में अवशेष धनराशि का विवरण।

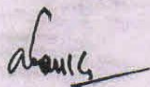
समिति द्वारा एण्डाउमेंट फण्ड खातों में उपलब्ध धनराशि रू0 185.76 लाख का अवलोकन किया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि एण्डाउमेंट फण्ड की नियमावली के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

33.11 संस्थान के ऑडिटेड एकाउन्ट्स की स्थिति व ऑडिट आपत्तियों का विवरण।

समिति को यह अवगत कराया गया कि संस्थान का वित्तीय वर्ष 2012-13 तक की अवधि का आडिट कार्य सम्पन्न हो चुका है एवं संस्थान का विगत 04 वर्षों से ऑडिट कार्य लम्बित है इसे समिति ने संज्ञान में लेते हुये कहा कि कई वर्षों से ऑडिट न होना चिंताजनक स्थिति है। समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि अवशेष वर्षों का आडिट कार्य कराने हेतु लेखा परीक्षा कार्यालय को पुनः पत्र प्रेषित करते हुये व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया जाये, यदि जनपद स्तर पर समाधान नहीं हो तो मण्डलीय एवं राज्य स्तरीय सक्षम अधिकारियों से सम्पर्क किया जाये।

33.12 वित्त समिति की 23 वीं से 32 वीं बैठक तक लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।

समिति द्वारा वित्त समिति की 23 वीं से 32 वीं बैठक तक लिये गये निर्णयों का अवलोकन किया गया।

V.L.T. 

✓
33.13.

वित्त समिति की 23 वीं से 32 वीं बैठक तक लिये गये निर्णयों पर लंबित बिन्दुओं का विवरण।

बिन्दु सं० 23.02

समिति के संज्ञान में लाना है कि मद सं० 23.02 पर वर्णित रू० 493.65 लाख के सापेक्ष वास्तविक व्यय रू. 565.83 लाख हुआ। इस पर समिति द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। इस क्रम में समिति को अवगत कराना है कि संस्थान के तत्कालीन निदेशक द्वारा आवश्यकता के अनुरूप वेतन भत्ते मद एवं कार्यालय व्यय मद में अधिक व्यय हुआ है। उक्त प्रकरण समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

बिन्दु सं० 23.03

छात्रावास में पाइप लाइन बिछाने हेतु स्वीकृत धनराशि रू० 1.80 लाख के सापेक्ष वास्तविक व्यय रू० 2.60 लाख हुआ है। इस पर समिति द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। इस क्रम में समिति को यह अवगत कराना है कि छात्रावास में पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त वास्तविक आगणन के आधार पर रू० 2.60 लाख का भुगतान हुआ। उक्त प्रकरण समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

33.14. संस्थान के वाहन चालकों को एक माह के मूल वेतन के समतुल्य धनराशि (मानदेय) के भुगतान के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा कार्मिक विभाग के संलग्न शासनादेश सं० 4-ई०एम०/90-का-4-2007 दिनांक 06 जुलाई, 2007 का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गयी।

प्रो० वी०के० त्यागी

(प्रो० वी०के० त्यागी)
निदेशक/सदस्य सचिव वित्त समिति,
बी०आई०ई०टी०, झॉसी

केशव प्रसाद

(केशव प्रसाद)
उप सचिव, वित्त विभाग
उ०प्र० शासन लखनऊ

भुवनेश कुमार

(भुवनेश कुमार)
सचिव,

प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० शासन, लखनऊ
एवं अध्यक्ष, वित्त समिति, बी०आई०ई०टी०, झॉसी